

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक - रीडर/2020/ 26

दिनांक 27-08-2020

-: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक राजस्व(ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक प.3 राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी है।

उक्त रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 53,59,60,66 एवं 86 के अनुसार तहसीलदार मसूदा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व अनुशंषा अनुसार भूमि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता एवं नक्शे में लाल स्याही से अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मसूदा उक्त आदेश के अनुसार पालना सुनिश्चित कर 15 दिवस में मय रेकार्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करे।

पटवार मण्डल :- लाम्बा

तहसील :- मसूदा

क्र. सं.	पोर्टल क्रमांक	तहसीलदार के पत्रांक मसूदा नम्बर मय दिनांक	ग्राम का नाम	वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि			नवीन(रास्ता हेतु) प्रविष्टि		
				खसरा न.	कुल रकबा	किस्म जमीन	खसरा न.	रकबा	किस्म जमीन
1	2020/00284	4483 24.07.2020	फतेहगढ	549	0.2912 है.	गै.मु.बरडा	549/1	2080मीटर	गै.मु. रास्ता
				546	5.4450 है.	गै.मु.बरडा	546/1	1200मीटर	
				543	1.6585 है.	गै.मु.बरडा	543/1	1120मीटर	
				509	8.1709 है.	गै.मु.बरडा	509/1	1760मीटर	
2	2020/00285	4484 29.07.2020	फतेहगढ	231	4.1906 है.	गै.मु.बरडा	231/1	1920मीटर	गै.मु. रास्ता
				255	1.5856 है.	गै.मु.बरडा	255/1	960मीटर	
				257	0.7605 है.	गै.मु.बरडा	257/1	640मीटर	

नोट:- अवशेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.एम.)मसूदा (अजमेर)

